बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–टी–1 / स्था0(5)मु0–07 / 2025............... / पटना, दिनांक–........–........–2026.

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 (1) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–17903 दिनांक–29.12.2014 तथा महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पत्रांक WCDC/1526/23 दिनांक–16.06.2023 के आलोक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में कार्यरत महिला कर्मियों के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं इस संबंध में प्राप्त परिवादों की सुनवाई हेतु आन्तरिक परिवाद समिति / शिकायत निवारण समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम / पदनाम	पद	मोबाईल नं0	ईमेल
1	2	3	4	5
1.	सुश्री संजू रानी, उप सचिव	अध्यक्ष	9608295849	sanju_rani@bihar.gov.in
2.	सुश्री अंजलि कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	8935964818	anjalidos008@gmail.com
3.	श्री अविनाश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	सदस्य	8743942419	duss95avinash@gmail.com
4.	श्रीमती कीर्ति कुमारी, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	सदस्य	6206667345	Jaiswalkirti96@gmail.com
5.	श्रीमती गुंजन बिहारी, Gender Specialist	बाह्य सदस्य	9473199065	gbihari@c3india.org

2. अधिनियम, 2013 की धारा–4 (3) के प्रावधानानुसार आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा। गैर सरकारी संगठन या समूह के सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अधिनियम, 2013 की धारा–4 (4) के अनुसार निर्धारण दर पर शुल्क एवं भत्ता देय होगा।

3. उक्त समिति तीन माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा विहित प्रावधानों के आलोक में स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु सही कदम उठायेगी। साथ ही समिति सभी कर्मियों खासकर महिला कर्मियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने का भी कार्य करेगी एवं समय–समय पर महिला एवं बाल विकास निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यशाला / बैठक प्रशिक्षण आदि में भी भाग ले सकेगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(शंकर दयल)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–1 / स्था0(5)मु0–07 / 2025............... पटना, दिनांक–............–............–2026.

प्रतिलिपि– सदस्य राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, पटना / सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, द्वितीय तल, इंदिरा भवन, बेली रोड, बिहार, पटना / निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, दारोगा राय पथ, रोड नं0 02, आर0 ब्लॉक, पटना / उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय / अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–1 / स्था0(5)मु0–07 / 2025..1001.../ पटना, दिनांक–..12/01..–2026.

प्रतिलिपि– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव / अवर सचिव / सभी संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aayal 13/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव